ग्रामीण जल व स्वच्छता कमेटी की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए पुस्तिका

जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन

(वॉटर एण्ड सैनिटैशन सपोर्ट ऑरगेनाइजेशन)

(वासो, हरियाणा)

बे. न. 13–18 सैक्टर 4, पंचकूला

1.0 परिचय – ग्राम जल एवं स्वच्छता कमेटी

- **संविधान के 73वें संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए गए।**
- **उपरोक्त संशोंधन के तहत हरियाणा सरकार द्वारा गांवों में टयूबवैल आधारित पेयजल योजनाओं की देख रेख का कार्य जन स्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को स्थातान्तरित किया जा रहा है।**
- **सरकार द्वारा पेयजल योजनाओं के देख रेख की मदद के लिए ग्राम स्तर पर जल व स्व्च्छता कमेटी के गठन के लिए दिनांक 08.05.2012 को अधीसूचना जारी की गई है।**
- **08.05.2012 की अधिसूचना के अनूसार कमेटी में निम्न सदस्य हो सकते हैं।**

1.	ग्राम पंचायत का सरपंच	अध्यक्ष
2.	महिला पंच (NRHM के तहत ग्राम स्वास्थय एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्ष)	संयोजक
3.	ग्राम पंचायत द्वारा नामित एक पंच	सदस्य
4.	प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिनियुक्त एक महिला स्कूल शिक्षक (अधिमानतः एक ही गांव)	सदस्य
5.	बहुउद्देश्यीय स्वास्थय कार्याकर्ता (महिला)	सदस्य
6.	साक्षर महिला समूह (एस.एम.एस.) की प्रधान	सदस्य
7.	आशा वर्कर	सदस्य
8.	ग्राम चौकीदार	सदस्य
9.	महिला मण्ड़ल की प्रधान	सदस्य
10	जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग का प्रतिनिधि (ग्राम का सदस्य)	सदस्य
11.	विभाग द्वारा नामित एक कार्यकर्ता	सदस्य
12.	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत तैनात एक स्वच्छता दूत	सदस्य
13.	VWSC की अनुमती से कोइ अन्य सदस्य	सदस्य

- **जल व स्वच्छता कमेटी को पेयजल योजनाओं की देख रेख के लिए पूर्णतया अधिकार दिए गए हैं जिनमें मूख्यतया निम्न है : –**

1 **पेयजल योजना को सुचारू रूप से चलाना**

2. सरकार से उपलब्ध धन राशी को ग्राम स्तर पर खोले गए बचत खाता में रखना व उस धन राशि को आवश्यकता अनुसार खर्च करना। इस बैंक खाते का संचालन सरंपच व महिला पंच द्वारा किया जाएगा।

3. पेयजल योजनाओं के विस्तार के लिए गांव की आवश्यकता अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी विभाग को मांग भेजना।

4 गांव में निजी पानी के कनैक्शन की स्वीकृति देना व उनसे बिल के पैसे एकत्र करना। पानी के कनैक्शन से एकत्रि.त आय को गांव की ही आवश्यकता अनुसार खर्च करना।

5 जन स्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी विभाग द्वारा गांव में पेयजल योजना विस्तार के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों का निरिक्षण करना व विभाग को सूचित करना।

2.0 ग्राम पंचायत की भूमिका

उपरोक्त अधिकारों के साथ जल व स्वच्छता कमेटी समिती के कर्तव्य निम्न है। –

1 गांव में सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना।

2. जल संरक्षण के तरीकों को अपना कर जल संरक्षण करना।

3. पानी को गन्दा होने से बचाना

4 पानी की गुणवता जांचना

5 प्रत्येक घर में पानी का निजी कनैक्शन सुनिश्चित करना।

6 गंदे पानी की निकासी का समूचित प्रावधान करना।

7 प्रत्येक कनैक्शन पर टुटी सुनिश्चित करना।

3.0 ग्राम पंचायत द्वारा चलाई जा रही पेयजल योजनाओं के लिए प्रावधान

- ग्राम पंचायतों को पेयजल योजनाओं की देख रेख सुचारू रूप से चलाने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी विभाग द्वारा हर सम्भव वित्तिय व तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिसके तहत

1 हर महीने रखरखाव व टयुबवैल चलाने के 11000/– एक टयूबवैल के लिए दिए जाते हैं जिसमें टयूबवैल चलाने वाले स्टाफ की तनख्वाह, पाईप ठीक करना अन्य मामुली सामान इत्यादि शामिल है

2 टयूबवैल चलाने के लिए व्यक्तियों को ग्राम पंचायत द्धारा ही रखा जाएगा।

3 बिजली का बिल पूर्णतया जन स्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी विभाग द्धारा किया जाता है।

4 जरूरत के अनुसार जल स्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी विभाग द्धारा तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है।

5 पानी को साफ रखने के लिए ब्लीचिंग पाऊडर विभाग द्धारा दिया जाता है। लेकिन उसका उपयोग ग्राम पंचायत द्धारा किया जाना है।

6. नया कनैक्शन मन्जूर करना व राशि इक्ठा करना।

कनैक्शन फीस को इकटठा करना, O & M सेवाओं हेतु जमा करना या पेयजल व स्वच्छता के कार्यों का उपर्युक्त प्रबन्धन एवं स्थिर आधार पर O & M सेवाओं का वित पोषण, एवं योजनाओं को संचालन व मुरम्मत के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण करना।

क. ग्राम पंचायत अपने स्तर पर पानी का नया कनैक्शन मन्जूर कर सकती है व उसका रिकार्ड ग्राम पंचायत द्धारा स्वयं रखा जायेगा।

ख. ग्राम पंचायत अपने स्तर पर पानी के बिल का पैसा इक्ठा करेगी व उसका समुचित रिकार्ड रखेगी।

ग. जो व्यक्ति नया कनैक्शन मन्जूर करने के लिए ग्राम पंचायत द्धारा लगाया जायेगा उसे 50 रूप्ए प्रति कनैक्शन प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जायेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति पानी का राजस्व इक्ठा करेगा उसे कुल प्राप्त आय का 15 प्रतिशत प्रदान किया जायेगा। यह राशी पंचायत द्धारा दी जानी है।

घ. पानी के बिल बांटकर, पैसा इकटठा करें।

4.0 पानी को टैस्ट करने की विधी –

4.1 अवशेष क्लोरीन

पीने के पानी को जीवाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। कीटाणुओं को प्रभावी रूप से नष्ट करने के लिए उसमें क्लोरीन की अवशेष मात्रा को जानना अति आवश्यक है। यदि क्लोरीन से जीवाणु रहित किए जल में

अवशेष क्लोरीन की मात्रा पाई जाती है तो वह जल जीवाणु रहित है। पीने के पानी में अवशेष क्लोरीन की मात्रा सामान्यंताः 1.0 मिली ग्राम प्रतिलीटर (एक पी0पी0एम0)से अधिक नहीं होना चाहिए।

(अ) आवश्यक सामग्री

कांच की परखनली, आर्थोटोलोडीन रसायन, अवशेष क्लोरीन स्टैण्र्ड कलर चार्ट, सिरींज (ड्रापर)

(ब) विधि

- कांच की परखनली में सिरींज की सहायता से 10 मि.ली जल का नमूना लें।
- आर्थोटोल्यूडीन रसायन की 4 बूंदे परखनली के घोल में डालकर धीरे धीरे हिलाएं।
- परखनली में पानी के रंग का मिलान स्टैण्र्ड कलर चार्ट से करें।
- कलर चार्ट के जिस रंग में परखनली के रंग का मिलान हो उसकी मात्रा नोट कर लेवें
- यह मात्रा जल नमूने में अवशेष क्लोरीन की मात्रा दर्शाती है।

(स) परिणाम

यदि जल नमूने में अवशेष क्लोरीन की मात्रा 0.2 मिली प्रति लीटर से अधिक है तो वह जल पूर्ण रूप से जीवाणु रहित है।

(द) प्रभाव

- अवशेष कलोरीन की अधिक मात्रा वाले पानी का स्वाद खराब हो जाता है तथा उसमें क्लोरीन गैस की गंध आने लग जाती है।
- यदि जल में अवशेष क्लोरीन की मात्रा 0.2 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है या शून्य है तो जल के पूर्ण रूप से जीवाणु रहित होने की अशंका है।

(न) निदान

- पीने के पानी में अवशेष क्लोरीन की निर्धारित मात्रा प्राप्त करने के लिए चिकित्सा विभाग में उपलब्ध कलोरीन (हेलोजन) टेबलेटस का उपयोग किया जा सकता है।
- ब्लीचिंग पाउडर की निर्धारित मात्रा पानी में डालने से भी अवशेष क्लोरीन की आवश्यक मात्रा प्राप्त की जा सकती है।
- सोडियम हायोक्लोरराईड या कलोरीन गैस की निर्धारित मात्रा पानी में डालने से भी अवशेष क्लोरीन की आवश्यक मात्रा प्राप्त की जा सकती है।

4.2 जीवाणु परीक्षण

पानी के नमूने में जीवाणु की उपस्थिति/अनुपस्थिति जानने के लिए विशेष प्रकार की रसायनयुक्त बोतल का प्रयोग किया जाता है जिसे एच टू एस वायल कहते हैं। इस वॉयल को प्रयोग में लेने से पूर्व ओटो क्लेव में जीवाणुरहित किया जाता है। पीने के पानी में जीवाणु की उपस्थिति जीवाणु प्रदूषण का सूचक है, जिससे कई प्रकार की जल–जनित बीमारियां होने की सम्भावना होती है जैसे उल्टी, दस्त, हैजा, टाईफाईड इत्यादि।

(अ) विधि

- जीवाणु परीक्षण हेतु जल नमूनों की जांच से पूर्व अपने हाथों को अच्छी तरह से धों लें। नल को साफ कपड़े से पौंछे तथा धूल मिटटी हटाएं।
- यदि जल नमूना हैण्डपम्प, टैप या नलकूप से लिया जा रहा है तो नल को 3–4 मिनट तक बहने देवें।
- एच टू एस की शीशी वायल को पानी से न धोवें। एच टू एस वॉयल को सावधानी से पकड कर उसका ढक्कन खोलें। याद रखें कि आपके हाथों की उंगलियां एच टू एस वॉयल के मुंह को न छुएं।
- एच टू एस वॉयल पर लगे निशान तक जल नमूना सावधानी से भरें।
- नमूना लेने के पश्चात एच टू एस वॉयल का ढक्कन तुरन्त बन्द कर देवें।
- शीशी (वायल) को कमरे के तापमान पर 48 घण्टे के लिए रख देवें।

- यदि एच टू एस वॉयल में डाले पानी का रंग काला हो जाता है तो यह पानी पीने योग्य नहीं है।

(ब) परिणाम

एच टू एस वॉयल के पानी के रंग का काला होना जीवाणु प्रदूषण का सूचक है। इस पानी का उपयोग पीने के लिए नहीं करें। यदि इसका उपयोग पीने के लिए करना हो तो इसे उबालकर, क्लोरिन या ब्लीचिंग पाउडर द्वारा जीवाणु रहित करके ही काम लेवें।

(स) निदान

- यदि एच टू एस वायल का रंग काला हो जाये तो पीने के पानी को 10–15 मिनट उबालकर ठण्डा होने पर पीने के काम में लेवें।
- अथवा चिकित्सा विभाग में उपलब्ध क्लोरीन हेलोजन टेबलेटस का उपयोग करें।
- ब्लीचिंग पाउडर की निर्धारित मात्रा डालने से भी पीने के पानी को जीवाणु रहित किया जा सकता है।
- इनके अतिरिक्त पेयजल स्त्रोतो की स्वच्छता का ध्यान रखें तथा उसे प्रदूषित होने से बचायें।
- पेयजल स्त्रोत को नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर की निर्धारित मात्रा डालकर जीवाणु मुक्त करें।

5.0 जल संरक्षण

क्यों ?

- जल एक समिति संसाधन है, जिसकी न तो प्रतिस्थापना/प्रतिलिपि की जा सकती है और ना ही व्यावसायिक उत्पादन किया जा सकता है।
- पृथ्वी में केवल 2.7% स्वच्छ पानी है।
- जल संसाधनों की कमी प्राकृतिक वातावरण को भी खराब करती है। पानी के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है।

- पारम्परिक तथा आधुनिक व्यवस्था में जल की विशिष्ट भूमिका है तथा यह पीने, घरेलू कृषि तथा उद्योगों सहित समस्त दैनिक कार्यों के लिए अनिवार्य है।
- स्वच्छ एवं शुद्ध पानी अनोखा पदार्थ है इसलिए इसका महत्व समझना व इसे संरक्षित करना है।
- पानी का संरक्षण सतह तथा भूजल संसाधनों को प्रदूषण से बचाने में सहायता करता है।
- जल संरक्षण के द्वारा पानी की खपत को एक तिहाई तक कम किया जा सकता है।
- पानी को पम्प से निकालने व शोधन में कम ऊर्जा उपयोग होने से ऊर्जा की बचत होती है।
- पानी के सदुपयोग से बिल कम आता है जिससे उपभोक्ताओं की आर्थिक बचत होती है।
- पानी की बचत से विभिन्न पर्यावरणीय लाभ अर्थात स्थानीय झरनों में उपलब्ध पानी में वृद्धि, भूजल स्तर में स्थिरता, प्रदूषण से सुरक्षा आदि। भूजल की निकासी पर नियंत्रण की आवश्यकता को कम करता है।

जल संरक्षण के उपाय – कैसे ?

5.1 घरेलू प्रयोग में जल संरक्षण के उपाय

1 सार्वजनिक व घरेलू नल के उपयोग के बाद उसे तुरन्त बंद कर दें।

2 उतना पानी ही प्रयोग करें जितनी आवश्यकता हो।

3 जल आपूर्ति प्रणाली में लिकेज की सूचना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को दें।

4 सार्वजनिक शौचालयों में नल खूला न छोड़ें।

5 जल संरक्षण तथा छत से वर्षा जल संचयन प्रणालियों को अपनायें।

5.2 कृषि क्षेत्र में जल संरक्षण के उपाय

- फसलों की जल आवश्यकता को जानें तथा आवश्यकयतानुसार पानी का उपयोग करे। अनियमित रूप से सिचांई न करें इसके बजाए एक नियमित पद्धति अपनाए।
- फसल बढ़ाने के साथ उसमें दिए जाने पानी की मात्रा में बदलाव लाएं।
- फसल, मिटटी एवं जलवायु के अनुकूल सिंचाई पद्धति अपनाएं।
- लेजर द्वारा जमीन का समतलीकरण – जमीन को समतल रखें। भूमि समतलीकरण किसी न किसी यन्त्र के द्वारा हर किसान द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन आम यन्त्रों से समतलीकरण की क्षमता ट्रैक्टर चालक की निपुणता पर निर्भरत होती है। इसके फलस्वरूप अधिकांशतः समतलीकरण प्रभावी नहीं हो पाता है। लेजर द्वारा समतलीकरण की तकनीक एक नई तकनीक है जिसमें ट्रैक्टर चालक की भूमिका लगभग नगण्य होती है। लेजर द्वारा ही समतलीकरण की किया पूर्ण होती है। किए गए अध्ययनों से पता चला है कि लेजर द्वारा समतलीकरण किए धान के खेतों में 10 प्रतिशत एवं गेहूं के खेतों में 10 – 20 प्रतिशत पानी की बचत की जा सकती है। गेहूं की फसल में पानी की बचत के साथ–साथ 10–15 प्रतिशत अधिक उपज भी मिलती

है। इसीलिए यह कहने में कोई अतिश्योकित नहीं हे कि लेजर समतलीकरण द्वारा पानी की बचत उत्पादकता में काफी वृद्धि लाई जा सकती है।

- फसल परितर्वन तथा ड्रिप का उपयोग :– धान, गेहूं फसल की लाभप्रदता दिनों दिन कम होती जा रही है। अधिक आमदनी के लिए किसान भाईयों को अब तक फसलचक्र से निकलकर सब्जियों अथवा फलों की खेती की ओर मुडना चाहिए। इन फसलों के उगाने में कठिनाईयां जरूर है लेनिक लाभ की सम्भावनाएं भी उतनी ही अधिक है। सब्जियों तथा फलों की खेती के साथ साथ यदि ड्रिप सिंचाई अथवा बूंद बूंद सिचांई का प्रावधान भी कर दिया जाए तो पानी की ज्यादा से ज्यादा बचत की जा सकती है।
- ड्रिप सिंचाई में ड्रिपर द्वारा पानी बूंद – बूंद के रूप में पौधों की जडों में दिया जाता है। यह पद्धति फलों एंव सब्जियों की फसलों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। पानी की मात्रा 2 से 20 लीटर प्रति घंटा तक मृदा के प्रकार के अनुसार निश्चित की जा सकती है। ड्रिप सिंचाई से जल की उपयोग दक्षता 80 प्रतिशत से अधिक होती है जो सतही अथवा फव्वारा पद्धति की तुलना में काफी अधिक है। पारंपरिक सतही सिंचाई की तुलना में जल की औसतन 40 से 50 प्रतिशत बचत की जा सकती है वहीं उत्पादन में 20 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है। जब किसान को धान–गेहूं फसल चक्र छोड कर सब्जियों तथा फलों की ओर प्रेरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं तब बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली जल संरक्षण तथा जल उत्पादकता बढ़ाने के लिए अत्यन्त कारगर सिद्ध हो सकती है। छोटे स्तर पर घडा सिंचाई प्रणाली का प्रयोग भी किया जा सकता है।
- भूजल का स्तर हर साल मापें व जल घर पर इसका रिकार्ड लिखवाएं।

6.0 *जल वितरण प्रणाली प्रणाली और मोटर के रख रखाव के उपाय*

6.1 लीकेज कैसे ठीक करें।

6.11 पाईप लाईन का रख रखाव ग्राम पंचायत द्वारा स्वंय रखा जायेगा । ग्राम पचांयत किसी अनुभवी फीटर व पलम्बर से सर्म्पक रखेगी । पाईप लाईनों में रिसाव होने से पानी तो बेकार जायेगा ही और उससे बिमारी फैलने का खतरा भी रहता है। जैसे ही लिकेज का पता लगे ग्राम पचांयत तुरन्त फीटर या पलम्बर को बुलाकर ठीक करवायेगी।

6.12 पाईपों की लिकेज की रिपेयर के लिए ग्राम पचांयत के पास (CID Joints AC/PVC 4" & 6") कुछ ठीक पाईप व दूसरा सामान अतिरिक्त रूप में रखे जाने चाहिये । ताकि समय पड़ने पर तुरन्त काम में आ सके।

6.2 मोटर चलानें के लिए दिशा – निर्देश

6.21. सर्वप्रथम यह देखें कि आप के ट्रांसफार्मर के ब्लेड स्पार्क तो नहीं कर रहे **LT** व **HT** के फ्यूजों पर भी ध्यान दें।

6.22 उसके बाद यह चैक करें कि क्या आप चैम्बर में किट कैट/मेन स्वीच में तीनों फेस आ रहे हैं। इसके लिए टैस्ट बत्ती का प्रयोग करे।

6.23 सेमी आटो मैटिक स्टार्टर (तीन बटनों वाला) का हरा बटन दबाने के बाद एम्पेयर मीटर पर नजर रखें व तीस सैकेंड के लगभग अन्तराल में पीला बटन दबाएं। एम्प मीटर की सुई डेल्टा पर जाने के लिए एक बार नीचें आकर स्थित हो जायें तो ही आप का आप्रेशन ठीक होगा यदि मोटर स्टार पर ही चलेगी तो जल जायेगी।

6.24 यदि फेस परवेन्टर लगा हुआ हो तो स्टार्टर के डेल्टा में न जाने की स्थिति में फेस परवेन्टर की 1 व तीन तार को आपस में बदल दें स्टार पर ही चलेगी तो जल जायेगी।

6.25 मोटर चलाने के बाद एक बार फिर देखें की कही स्पार्किंग तो नहीं हो रही कही हैं कहीं भी स्पार्किंग दिखाई दे तो मोटर को तुरन्त बन्द करें स्पार्किंग ठीक करने के बाद ही मोटर चलाएं

6.26 किट कैट में फ्यूज पत्तियों पर न लपेंटे, उसे फ्यूज के लिए निर्धारित पेचों में ही कसें।

6.27 10 एच पी तक की मोटर के लियें 20 न0 15 एच पी की मोटर के लिये 18 न0 व 20/25 एच पी की मोटर के लियें 16 न0 की तांबें की तार का प्रयोग करें। एल्यूमिनियम की तार का प्रयोग न करें।

6.28 स्टार्टर चैक करने के लिए मोटर की तारें खोल दें हरा बटन दबाकर टैस्ट बती से चैक करें मोटर वाले तीन टर्मीनल में करंट आना चाहिये व डेल्टा

कर पीला बटन दबाने पर मोटर के सभी 6 टर्मीनल में करंट आना चाहियें। यदि सभी टर्मीनल में करन्ट नहीं आता है, तो आपका स्टार्टर खराब है उसे ठीक करवायें।

6.29 मोटर के कनैक्शन निम्न प्रकार से करें :–

R Y B

B R Y

6.30 वोल्ट मीटर की तार पहले व तीसरे फेस में ही लगाये व एम्प0 मीटर वाली तार को बीच वाले फेस में ही लगाएं।

6.31 मोटर के चक्कर उल्टे होने की स्थिति में साथ लगतें कोई से दो फेसों की तारें आपस में बदल दे चक्कर सीधे हो जायेंगे

6.32 मोटर हार्सपावर से $1^{1/2}$ गुणा एम्प0 तक ही सुरक्षित रहती है इससे ज्यादा एम्प लेने पर मोटर बन्द कर दे व इसे तुरन्त चैक करवाये।

6.33 स्र्टाटर आईल को हर 6 महीने में निकाल कर एक साफ जालीदार कपडे से छान लें। छाने हुए स्र्टाटर ऑयल को किसी बर्तन में ऊबाल लें और फिर ठण्डा कर, पुनः छान कर इस्तेमाल के लिए स्र्टाटर में डाल दें।

हरियाणा सरकार के कार्यक्रम

7.0 जल संरक्षण अवार्ड

विषय : – जल सरंक्षण के प्रति प्रगतिशील ग्राम पंचायतों को जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग के जल एवं स्वच्छता सहायक सगंठन द्वारा पुरूस्कृत करने का उददेश्य है। वर्ष 2011 को बतौर जल सरंक्षण वर्ष मनाया गया था जिसमें मुख्यता ध्येय पेयजल के संसाधनों की सुरक्षितता व स्थिरता था। यह पुरूस्कार ग्राम पंचायतों का जिला स्तर पर हर वर्ष 26 जनवरी या 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रमों में दिया जाना है। पुरूस्कार (एक समय की खुली राशी) की योग्यता व राशी निम्न है :–

7.1 योग्यता

(i) जो ग्राम पंचायत सभी निजी व सार्वजनिक नलों पर टुंटी लगवाना सुनिश्चित करें।

एवं

(ii) गांव में कम से कम 75% घरों में पानी के निजी कनैक्शन स्वीकृत हों।

7.2 पुरूस्कार की राशि निम्न होगी : —

2001 की जनगणना के अनुसार गांव की जनसंख्या	पुरूस्कार की राशी
2000 तक	रूपए 20,000/—
2000 से अधिक व 3000 तक	रूपए 30,000/—
3000 से अधिक व 4000 तक	रूपए 40,000/—
4000 से अधिक	रूपए 50,000/—

नोट : पुरूस्कार के लिए ग्राम पंचायत को ईकाइ समझा जाएगा जिसमें सभी आबादी देह शामिल होगीं।

पुरूस्कार देने के बारे में ग्राम पंचायत द्वारा सम्बन्धित जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग के सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता को प्रार्थना पत्र दिया जाएगा।

जिला के उपायुक्त द्वारा मनोनित विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारी एंवम जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग के उपमण्डल अभियन्ता की कमेटी, ग्राम पंचायत को पुरूस्कार की योग्यता की जांच व पुष्टि करेगी । उपरोक्त कमेटी द्वारा जांच उपरान्त अपनी रिपोर्ट जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग के सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता को भेजी जाएगी। पुरूस्कार प्रदान करने की अनुमति जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियन्ता द्वारा कार्यकारी अभियन्ता व कमेटी की सिफारिश के आधार पर दी जाएगी।

पुरूस्कार की राशि की अदायगी जन स्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियन्ता द्वारा की जाएगी । इसका खर्च राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (सहायता फण्ड) को चार्ज किया जाएगा । यह पॉलिसी राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के चलते रहने तक चालू रहेगी।

8.0 ग्रामीण वाटर पोलिसी

हरियाणा सरकार, जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग, द्धारा जून 7,2012, न0 14174/2010–पी.एच.–3 को अधिसूचित – हरियाणा राज्य ग्रामीण जल नीतिगत – 2012

8.1 परिचय

क. यह निति राज्य सरकार के जल सरंक्षण, जल को व्यर्थ होने से बचाने व राज्य के ग्रामीण इलाकों में आय रहित पानी को कम करने की दृढ.ता को दर्शाती है। यह नीति, जल जो कि राष्ट्रीय सीमित संसाधन है, के सदुपयोग के लिए निर्धारित की गई है।

ख. माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा, सिवील रिट पैटिशन न. 5846/2010, कु0 सरप्रीत कौर बनाम हरियाणा सरकार के केस में पंजाब व हरियाणा राज्यों को मीटर सहित पानी का कनैकशन देने के लिए निति बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि पानी को व्यर्थ होने से बचाया जा सके।

ग. यह नीति ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ताओं को दिए गए बिना मीटर के पानी के कनैक्शन, जिसका बिल सामान दर पर लिया जाता है, से पानी के ज्यादा प्रतीशत व्यर्थ होने के मद्येनजर यह नीति बनाई गई है।

घ. नीति को हरियाणा गजेट में अधिसुचित किया जाए ।

8.2 उद्देश्य

क. बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को मीटर सहित पानी के निजी घरेलू कनैकशन प्रदान करना ।

ख. सार्वजनिक नलों, खूली टुटीयों व मीटर सहित कनैकशनों से अमूल्य पेयजल की बर्बादी को रोकना ।

ग. उपभोक्ता से पानी का बिल समान दर की बजाए घनत्व उपभोग के अनुसार लेना।

8.3 नीति का लागू होना

क. यह निती सभी तरह के निजी,अर्धसरकारी,सरकारी भवनों के तहत धरेलू, व्यवसायिक,ओघोगिक व संस्थानों पर जरूरी तौर पर लागू होगी।

ख. इस नीति को शासकीय नियमों के तहत शक्तियां प्राप्त होगीं । इस नीति की कियान्वन बारे सभी भागीदार व व्यक्ति बाध्य होंगे ।

ग. यह नीति सेवाएं प्रदान करने वाली सभी अथारिटीज नामत : जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग आवास बोर्ड, हुडा, एच. एस.आई.आई.डी.सी., विकास व पंचायत विभाग या अन्य कोई विभाग या सरकारी अथोरिटी जो भी इस विषय से सम्बन्धित है पर लागू होगी।

8.4 कियान्वन/नियन्त्रक ढांचा

वित्तायुक्त व प्रमुख सचिव हरियाणा सरकार, जन स्वास्थय विभाग की अघ्यक्षता में एक राज्य स्तरीय अधिकृत कमेटी होगी जिसमें सभी सेवाएं प्रदान करने वाली ॲथोरिटीज के नुमाईंदे शामिल होंगे। कमेटी का उद्देश्य इस नीति के कियान्वन को सुचारू करना व शिकायतें दूर करना होगा। कमेटी के पास इस नीति के सम्बन्धित मुद्दों एवम नीति को लागू करने की प्रकिया बारे निर्णय लेने की सभी शक्तियां होगीं । कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय को सभी ॲथारिटीज द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में लागू किया जाएगा। इस नीति को लागू होने की प्रगति का निरिक्षण समय–समय पर किया जाएगा।

8.5 नीति

क. बारहवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक 50 प्रतिशत ग्रामीण अबादी को पानी के नीजि कनैकशन मीटर के साथ दिए जाएगें।

ख. बिना मीटर के कनैक्शन पर समान रेट के प्रावधान को समयानुसार खत्म किया जाएगा ।

ग. यदि मीटर नहीं चल रहा तो उपभोक्ता इसे अपनी कीमत पर एक महीने के अन्दर ठीक करवाएगा/ बदलवाएगा अथवा उसे समय–समय पर ॲथोरिटीज द्वारा निर्धारित जुर्माने का भुगतान करना होगा ।

घ. सभी उपभोक्ता, जिनके कनैकशन पर मीटर नही हैं, आई.एस.आई. चिन्हीत, प्रतिष्ठित कम्पनी द्वारा निर्मित, अच्छी तरह चलने वाला मीटर अपनी कीमत पर लगवाएंगें।

ड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 6 एम.एम. फरूल साइज से ज्यादा पानी का कनैक्शन नहीं दिया जाएगा ।

8.6 विभाग द्वारा किसी अस्वास्थयकर कनैक्शन के पाए जाने पर उसे तुरन्त, बिना नोटिस दिए बन्द किया जाएगा व उपभोक्ता द्वारा उसे ठीक करवाने के बाद एवं अॅथारिटीज द्वारा निर्धारित जुर्माने की अदायगी के बाद ही दोबारा जोड़ा जाएगा ।

8.7 सप्लाई लाइन पर सीधे बिजली/यांत्रिक पम्प लगाने की किसी भी उपभोक्ता को अनुमति नहीं होगी । जब भी इस तरह के पम्प को सप्लाई लाईन पर सीधे लगा पाया जाता है तो 1200/– रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा । जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सभी उपभोक्ताओं को नोटिस/ईश्तहार द्वारा यह सुचित किया जाएगा कि सीधे लाईन पर लगे पम्प को विभाग कब्जे में ले लेगा व ऐसे उपभोक्ताओं की सप्लाई भी बंद कर दी जाएगी।

8.8 उपभोक्ताओं का वर्गीकरण

i) धरेलू वर्ग

क. रहने के प्रयोग होने वाले प्रांगण

ख. सरकारी शिक्षा संस्थानों के होस्टल, सरकार द्वारा संचालित कार्यरत महिलाओं के लिए होस्टल

ग. सरकार द्वारा मान्य बेसहारा घर,अनाथालय,धर्मार्थ घर,अंध विधालय,शरीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए स्कूल एवम् मानसिक विकलांग बच्चों के लिए स्कूल।

घ. पेयजल उददे्शय के लिए प्याऊ

ङ . पूजा स्थल,श्मशान घर व दफनाने के स्थल

ii) व्यवसायिक, ओद्योगिक,संस्थानिक वर्ग

सभी उपभोक्ता जो उपरोक्त वर्गीकृत 8 (i) में शामिल नहीं है

8.9 जल सरंक्षण के लिए प्रोत्साहन

हरियाणा राज्य द्वारा जल सरंक्षण को बढावा देने के लिए ग्रम पंचायतों को प्रोत्साहन की घोषणा की है ।

क. योग्यता :–

(i) जो ग्राम पंचायत सभी निजी व सार्वजनिक नलों पर टुंटी लगवाना सुनिश्चित करें।

एवं

(ii) गांव में कम से कम 75% घरों में पानी के निजी कनैक्शन स्वीकृत हों।

ख. पुरूस्कार की राशि निम्न होगी : –

2001 की जनगणना के अनुसार गांव की जनसंख्या	पुरूस्कार की राशी
2000 तक	रूपए 20,000/–
2000 से अधिक व 3000 तक	रूपए 30,000/–
3000 से अधिक व 4000 तक	रूपए 40,000/–
4000 से अधिक	रूपए 50,000/–

पुरूस्कार की राशि की अदायगी जन स्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियन्ता द्वारा की जाएगी । इसका खर्च राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (सहायता फण्ड) को चार्ज किया जाएगा । यह पॉलिसी राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के चलते रहने तक चालू रहेगी।

8.10 ग्राम जल एवं स्वच्छता समिती की भूमिका (VWSCs)

ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गहन किया जा रहा है । इस समितियों को मीटर कनैक्शन लेने के लिए पब्लिक को उत्साहित करने को कार्य सोंपा जाएगा ।

पानी के बिलों से प्राप्त आय को पंचायतों के विकास कार्यो व योजनाओं की सही देखभाल के लिए दिया जाएगा।

8.11 शिकायत निवारण

पानी के बिल से सम्बन्धित शिकायत/विवाद को दूर करने के लिए उपभोक्ता के 50 प्रतिशत विवादित राशी के साथ प्रार्थना पत्र सम्बन्धित कार्यकारी

अभियन्ता को देगा । 50 प्रतिशत विवादित राशी के बिना प्राप्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी । उपभोक्ता अपनी अपील सम्बन्धित अधीक्षक अभियन्ता को कार्यकारी अभियन्ता द्वारा पारित विवाद निवारण के आदेश के 30 दिन के अन्दर के अन्दर दे सकता है, यदि उपभोक्ता द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ विवादित राशी का 50 प्रतिशत पहले ही जमा करवाया होगा । अधीक्षक अभियन्ता का फैंसला अन्तिम व दोनो पक्षों के लिए बाध्य होगा।

8.12 बाहरी एजैन्सियों का उपयोग

वितरण प्रणाली की देखभाल के साथ आय इक्कठी करने का कार्य बाहरी एजैन्सियों को धीरे धीरे स्थानान्तरित किया जा सकता है। बाहरी एजैंसी को एक मुस्त मीटर सप्लाई दी जा सकती है जिसको आगे उपभोक्ताओं को दिया जा सकता है एवं वह एजैन्सी नए कनैक्शन देने में भी अॅथोरिटी की मदद करेगी ।

8.13 पुलिस थानों का अधिकार क्षेत्र

पूरे राज्य में जल एवं विद्युत थानों की स्थापना की गई है ।इन थानों का कार्यक्षेत्र इस नीति के कियान्वन के लिए और इस कानून को लागू करने के लिए भी होगा ।

8.14 नीति का संशोधन

राज्य स्तरीय अधीकृत कमेटी की सिफारिशों पर इस नीति में कोई भी संशोधन के लिए राज्य सरकार सक्षम होगी ।

9.0 कनैक्शन फीस

कनैक्शन फीस माफ हरियाणा, सरकार द्धारा निजी कनैक्श्यान के लिए निर्धारित 500 रू0 की फीस को 31.3.2013 तक माफ किया गया है। अतः 31.3.2013 से पहले निजी कनैक्शन लेकर स्कीम का फायदा उठाए।